22-05-2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी गैर हाजिर । अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री उगराराम उदाणी ने वकालातनामा पेश किया । जिसे शामिल मिसल किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने का निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी द्वारा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्री मांगीलाल सुथार के विरूद्व सही निष्पक्ष, फेयरनेस विधिवत एवं प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तों के विपरित जाकर समुचित सुनवाई नही की जाने से निष्पक्ष न्याय नहीं मिलने की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण उक्त प्रकरण अन्यत्र न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था। उपखण्ड अधिकारी का स्थानान्तरकरण अन्यत्र जगह होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आचौत्य रहित हो गया है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्री मांगीलाल सुथार का स्थानान्तरण लोहावट हो गया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। वर्तमान उपखण्ड अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 260/2022 अनवान लाखाराम बनाम किशनाराम वगैरह में उभयपक्षकारान को सूचना दी जाकर विधिवत एवं न्यायिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, फलोदी	